(f) There is no direct causality between the issue of capital in the form of Euro-issues and the rate of inflation.

राजस्थान में बैंकों की शाखाएं

880. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में किस-किस बैंक की कितनी--कितनी शाखाएं हैं;

(ख) बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में, राजस्थान का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात से इस राज्य में बैंकों की शाखाएं बहुत कम है और इस कमी को कब तक पूरा किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) दिनांक 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में काम कर रहे प्रत्येक बैंक का नाम और इन बैंकों की शाखाओं की संख्या विवरण में दी गई है। (नीचे देखिये)।

(ख) शाखा विस्तार नीति, 1990-95 के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में पता लगाए गए ग्रामीण केन्द्रों में शाखायें खोलने के प्रस्ताव और उचित रूप से संबंद्ध राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जहां तक अर्ध शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि उन्हें आबंटित किए गए कोटे के अन्तर्गत वे अखिल भारतीय आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार शाखायें खोल सकते हैं। अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने के प्रयोजन के लिए कोई राज्यवार कोटा आबंटित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर के केन्द्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित कार्यदलों द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों के आधार पर आबंटन किया जाता है। चालू शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बैंकों को विशेषज्ञता प्राप्त शाखायें अर्थात औद्योगिक वित्त, विदेशी, एस आई बी/ एस एस आई, एन आर आई, ट्रेजरी आदि शाखायें खोलने की स्वतंत्रता है। यह उस केन्द्र में पर्याप्त कारबार सुनिश्चित करने के पश्चात किया जा सकता है। ऐसे प्रस्तावों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन प्रस्तावों को छोड़कर दूसरे प्रस्ताव जो विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप नहीं होते है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना होता है। बैंक अपने विस्तार काउंटर खोलने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे उस संगठन के प्रमुख बैंकर हों, जिनके परिसरों में विस्तार काउंटर कार्य कर रहा हो।

(ग) दिनांक 30.6.93 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 3104 थी जबकि पूरे देश में शाखाओं की संख्या 61248 थी। राजस्थान के लिए औसत जनसंख्या 11,000 है जो 11,000 के अखिल भारतीय औसत जनसंख्या के बराबर है।

विवरण

30.6.1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्यरत बैंकों की शाखाओं की संख्या और उनके नाम

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	159
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	589
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2
एस० बी० इंदौर	5
एस० बी० पाटियाला	3
एस० बी० हैदराबाद	1
एस० बी० त्रावनकोर	1
इलाहाबाद बैंक	28
आंध्रा बैंक	3
बैंक आफ बड़ौदा	294
बैंक आफ इंडिया	37
बैंक आफ महाराष्ट्र	6
केनरा बैंक	19
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	93
कारपोरेशन बैंक	1
देना बैंक	11
इंडियन बैंक	8
इंडियन ओवरसीज बैंक	9
न्यू बैंक आफ इंडिया	19

1	2
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	4
पंजाब एंड सिंध बैंक	19
पंजाब नेशनल बैंक	198
सिंडिकेट बैंक	10
यूको बैंक	134
यूनियन बैंक	42
यूनाइटेड बैंक	6
विजय बैंक	9
बैंक आफ राजस्थान लि०	221
वैश्य बैंक लि०	1
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि०	1
अलवर-भरतपुर आंचलिक बैंक	90
अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	64
भिलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय बैंक	53
बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28
बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय बैंक	69
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय बैंक	44
हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	109
जयपुर नगर आंचलिक ग्रामीण बैंक	142
मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	60
मारवाड़ ग्रामीण बैंक	136
मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	61
शेखावटी ग्रामीण बैंक	100
श्रीगंगानगर क्षेत्रीय बैंक	44
थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	
कुल शाखाएं	3104

Bank donations to Societies and Institutions

881. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that public sector banks have been giving donations to some societies and institutions;

(b) if so, what is the criterion for these and what are the details of such donations over the past five years, with names of recipients, banks and amounts; and

(c) which of these banks have been incurring losses during this period? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF 'FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Reserve Bank of India (RBI) have reported that as per extant instructions banks are permitted to make 'normal' donations together with donations to national funds and other funds recognised/sponsored by State/Central Government within an annual overall ceiling of 2% of the published profits of the previous year. Loss making banks were not allowed to make any donations during the last four years ended March 1993. However, in September 1993 loss making nationalised banks were permitted as a special case to grant 'normal' donations upto an aggregate amount of Rs. 3 Lakhs each in a year. Subsequently, in October 1993, these banks have also been permitted to donate a suitable amount if warranted in excess of the limit of Rs. 3 lakhs to the national funds or other approved organisations for helping earthquake victims.

Details regarding donations made during the last five years are not readily available.

Issuing of Shares of New Companies at a premium

882. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) whether Government have studied the suggestion of Shri V. Ganesan former president of the Madras Stock Exchange, that new companies should not be permitted to issue shares at a premium, as there is no market value or clearly laid-down guidelines, based on which the premium can be calculated; (b) if so, what is its reaction thereto;